

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:- 487/2025

कुलदीप झोरड पुत्र श्योपत सिंह जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 22/12/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु
प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित
होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक
नम्बर 4 एम.डी. जमाबंदी सम्वत् 2075 - 78 खाता संख्या - 49/129 में दर्ज कुल
तादादी 3.813 है० में से 127 / 3813 में वादी का नाम कुलदीप के स्थान पर कुलदीप
झोरड" अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है यदि वादी पर किसी भी प्रकार कोई
आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा।
तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय
का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा
उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पचा डिक्री आज दिनांक 22/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।